रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19092020-221829
CG-DL-E-19092020-221829

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2849] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 18, 2020/भाद्र 27, 1942
No. 2849] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 18, 2020/BHADRA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2020

का.आ. 3197(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ .एस.ओ. ३५६४ (ई) दिनांक ३० सितंबर २०१९, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा तेलंगाना राज्य के महबूबनगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग167 के कि.मी.179.500 से कि.मी.182.200 **तक ब्रिज के लिए कि.मी.180.865** (हजारी-जदेशेरला खंड) तक के भूखण्ड पर , अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख **"25-नवम्बर-2019"** को **"साक्षी, विजया करंतका"** और **"इंडियन एक्सप्रेस"** दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग167 **के कि.मी.**179.500 **से कि.मी.**182.200 **तक ब्रिज के लिए कि.मी.**180.865(**हजारी-जर्दशेरला खंड**) **के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।**

राज्य का नाम: तेलंगाना		**जिले का नाम: महवूबनगर**			
क्रमिक संख्या	**सर्वेक्षण संख्या**	**भूमि का प्रकार**	**भूमि की प्रकृति**	**भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)**	**भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम**
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: कृष्णा				
	गांव का नाम: गूदेवेल्लुर				
1	792	निजी	वेट	1.0016	दंडु पार्वती व/ओ बसना ()
2	795	निजी	वेट	0.4 57	रुक्मिणी बाई व/ओ बालाजी , संतोष कुमार स / ओ रामकृष्ण , सुंशा डी/ ओ रामकृष्ण , क प्रताप रेड्डी स/ ओ रामचंद्ररेड्डी ()
3	809	निजी	वेट	0.0767	यसवक वासुदेवराव स/ ओ पूर्णचन्द्र रओ ()
4	810	निजी	ड्राई / वेट	0.2428	ग सुब्बलक्ष्मी व / ओ गव्व प्रसाद राजू , चेतते नरसप्पा स / ओ थिम्मा ()

5	811	निजी	वेट	0.2087	चेतते चिन्ना बसप्पा स / ओ नरसप्पा , चेतते थिप्पायाः स / ओ थिम्मा , ग सुब्बलक्ष्मी व / ओ गव्व प्रसाद राजू ()
			कुल	**2.0255**	

[फा. सं. NH-12014/Karnataka/13/2016-S&R(B)/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2020

S.O. 3197(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 3564(E) dated 30th September 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building(Widening/four lanning,etc.) maintenance management and operation of National Highway 167 on the stretch of land from Km. 179.500 to Km. 182.200 for Bridge at Km.180.865(Hagari-Jadecherla section) in the district of Mahabubnagar in the state of Telangana.

And whereas the substance of the said notification has been published in "Sakshi, Vijaya Karntaka" and "Indian Express" both dated 25-Nov-2019; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km 179.500 to Km182.200 for Bridge at Km180.865(Hagari-Jadecherla section) on the National Highway167 in in the state of TELANGANA.

State: TELANGANA	**District: MAHABUBNAGAR**				
Sr. No	**Survey Number**	**Type of Land**	**Nature of Land**	**Area in Hectare**	**Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.**
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Krishna				
	Viilage: Gudebellur				
1	792	Private	Wet	1.0016	Dandu Parvathi W/o Basanna
2	795	Private	Wet	0.4957	RukminiBai W/o Balaji , Santhosh Kumar S / O Ramakrishna , Sunsha D /o Ramakrishna , K Prathap Reddy S / O Ramachandrareddy
3	809	Private	Wet	0.0767	YSVK Vasudev Rao S / O Purnachandra Rao
4	810	Private	Dry / Wet	0.2428	G Subbalakshmi W/o GVV Prasadh Raju, Chette Narasappa S / O Thimmaiah
5	811	Private	Wet	0.2087	Chette Chinna Basappa S / O Narasappa , Chette Thippaiah S / O Thimmaiah , G Subbalakshmi W /o GVV Prasad Raju
			TOTAL	**2.0255**	

[F. No. NH-12014/Karnataka/13/2016-S&R(B)/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.09.19 14:19:25 +05'30'